पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 82/2022

अनवान :

1. सरजीत कुमार पुत्र रामसिंह जाति मेघवंशी निवासी भाडी त0 भादरा।

:- वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र मोमनराम जाति मेघवंशी निवासी भाडी त0 भादरा।
2. शारदा पुत्री रामसिंह पत्नी जगदीश जाति मेघवंशी निवासी भाडी हाल रामसरा ताल त0 भादरा।
3. सन्तोष पुत्री रामसिंह पत्नी विनोद कुमार जाति मेघवंशी नि0 भाडी हाल रामसरा ताल त0 भादरा।
4. वीरमती पुत्री रामसिंह पत्नी अनिल कुमार जाति मेघवंशी नि0 भाडी हाल पहाडसर त0 राजगढ़ जिला चुरू।
5. ओरियन्टल वैंक ऑफ कॉमर्स शाखा भादरा वर्तमान परिवर्तित वैंक पंजाब नेशनल वैंक शाखा भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री लाधुराम धायल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जयवीर सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 258/236 के खसरा सं0 456 की 4.6170है0 एवं खसरा नं0 524/1 की 3.7940है0 कुल खसरा 2 की कुल 8.4110है0 बारानी प्रतिवादी सं0 रामसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज में से प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह अकेले के बजाय वादी सरजीत 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी स0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि वैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner